

बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

लूसीय ताल, अरप्प्य भवन, शहीद पीर अली खां मार्ग, पटना-800 014
संख्या व.सं./52/2021-215

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०द०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक- 14/03/2022

विषय – भागलपुर जिलान्तर्गत NH-80 भागलपुर—कहलगाँव—मिर्जाचौकी (132.895—190.150 कि०मी०) पथांश चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 41.559 हेतु वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर संदर्भान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि भागलपुर जिलान्तर्गत NH-80 भागलपुर—कहलगाँव—मिर्जाचौकी (132.895—190.150 कि०मी०) पथांश चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कार्य के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 41.559 हेतु वन भूमि अपयोजन हेतु कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, भागलपुर का प्रस्ताव जाँचोपरान्त वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

2. विषयाकृत पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 921 (ई०) दिनांक 28.08.1997 द्वारा "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का रदामित्व पथ निर्माण विभाग का है। प्रस्तावित पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में 41.559 हेतु वन भूमि के अपयोजन का प्रस्ताव है।

3. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा भाग-II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व 0.04 एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं करने की सूचना अंकित किया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि परियोजना निर्माण होने से 6563 वृक्ष प्रभावित होंगे जिसमें से 3672 वृक्षों का पातन होना है तथा 2891 वृक्षों का पुर्नस्थापन प्रस्तावित किया गया है।

4. वृक्ष सुरक्षा योजना पर निर्णय लेने हेतु क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भागलपुर की अध्यक्षता में दिनांक 04.03.2022 को क्षेत्रीय संस्थान समिति की बैठक आयोजित की गयी थी। बैठक की कार्यवाही वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक 315 दिनांक 04.03.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है जिसमें अंकित किया गया है कि वृक्ष सुरक्षा योजना के तहत 3672 वृक्षों के पातन का प्रस्ताव है, जबकि 2891 वृक्षों का Traslocation प्रस्तावित है। उन्हीं वृक्षों के पातन का प्रस्ताव है, जिनका Traslocation विभिन्न कारणों से संभव नहीं है।

4. अपयोजित होने वाली वन भूमि के पथांशों को दर्शाते हुए मूल टोपो शीट नवशा Geo-referenced नवशा Index के साथ संलग्न किया गया है जो वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

5. परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-43/2013-FC दिनांक 26.02.2019 के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र, संदर्भान्तिक स्वीकृति पत्र के अनुपालन के साथ उपलब्ध कराने संबंधित दिशा-निर्देश निर्गत की गयी है। तदालोक में दिना FRA, 2006 प्रमाण पत्र के ही प्रस्ताव पर Stage-I की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव अग्रसारित किया जा रहा है।

6. परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 41.559 हेक्टेन वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 83.118 हेक्टेन अवकृष्ट वन भूमि को बौका वन प्रमंडल अन्तर्गत बौका वन प्रक्षेत्र के लौदिया टोला-रामनगर, बराड़ी से ललमटिया सरारी (PF) को चिन्हित कर दस वर्षीय वृक्षारोपण प्राक्कलन तैयार किया गया है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है, का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

7. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश की कठिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है—

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 41.559 हेक्टेन वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रु० 9.57780 लाख प्रति हेक्टेन के दर से रु० 3,98,04,379/- (रुपये तीन करोड़ अनदानवें लाख चार हजार तीन सौ उनासी) मात्र को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 41.559 हेक्टेन वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये बौका वन प्रमंडल अन्तर्गत 83.118 हेक्टेन अवकृष्ट वन भूमि सुरक्षित वन में चिन्हित करते हुए रु० 1,42,08,483/- (रुपये एक करोड़ बियालीस लाख आठ हजार चार सौ तिरासी) मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है, के आलोक में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अद्यतन मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जाएगी।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1224/- रुपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही है। उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/—

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापाल—ब.सं./52/2021-215 दिनांक-14/03/2022

प्रतिलिपि – कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, भागलपुर/वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर वन प्रमंडल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

भागलपुर जिलान्तर्गत NH-80 भागलपुर-कहलगाँव-मिजाचौकी (132.895–190.150 कि०मी०) पथांश चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 41.559 हे. वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव का बैक लिस्ट-

क्र० सं०	विवरणी	अभ्युक्ति
1	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र-।	संलग्न।
2	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी Undertaking	संलग्न।
3	प्रयोक्ता एजेंसी एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरित टोपोशीट नक्शा	संलग्न।
4	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित वन भूमि का जियों रेफरेन्स मैप	संलग्न।
5	वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र-॥	संलग्न।
6	वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन	संलग्न।
7	परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि की गणना विवरणी।	संलग्न।
8	वन प्रमंडल पदाधिकारी, बौका द्वारा उपलब्ध करायी गयी क्षतिपूरक वनरोपण का प्राक्कलन।	संलग्न।
9	वन प्रमंडल पदाधिकारी, बौका द्वारा स्थल क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपयुक्त हैं से संबंधित प्रमाण पत्र	संलग्न।
10	वन संरक्षक, भागलपुर द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र-॥॥	संलग्न।
11	नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र-॥॥	संलग्न।

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैसा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।